

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिभक्त सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकाश खिड़की केवल आतासीय योजनाएँ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 351 दिनांक 03/11/2020

प्राचीन शरीर का नाम डा. डी. वेंकटरावु व्यास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवेदक P.No- 205 सेक्टर-डी, कामला

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नक्शा नगर प्रथम विस्तार

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12420/- (जमा)

जसिये रसीद संख्या 2062/1321, 1322

दिनांक 03/11/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 20/11/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Recd
P.N. Vankar
P.N. Vankar

9783275000

पती +)

आतासीय